FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0272   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/11/2024 20:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 11/11/2024   Date To (दिनांक तक): 26/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:10 बजे   Time To (समय तक): 16:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 27/11/2024   Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 27/11/2024 20:51:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 115 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): KARYALY ANJU NIGAM BHARTPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NAVAL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMJILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHARMPURA, SEWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHARMPURA, SEWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NEERAJ SHARMA		पिता:MAHENDRA SHARMA	1. JAIN GALI BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर (राज.) विषय- रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदयजी निवेदन है मैं नवलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाटव उम्र 54 साल निवासी धर्मपुरा का रहने वाला हॅू। मेरी दुकान के लिए लोन की फाइल पीएनबी बैंक लुधावई में अनुजा निगम भरतपुर के तहत लगाई थी । जिसके पचास हजार रूपये का लोन बैंक से मिला एवं पचास हजार रूपये की किश्त अनुजा निगम भरतपुर से प्राप्त होनी है। अनुजा निगम से मिलने वाली राशि पचास हजार रूपये की सरकार की तरफ से छूट है जो सरकार माफ कर देती है। उक्त राशि को मेरे खाते में डालने की एवज में श्री नीरज जी अनुजा निगम भरतपुर पच्चीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। दो हजार रूपये तारीख 25.10.24 शुक्रवार को लिए हैं। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं रियवत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करवाने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी नवलसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव गांव धर्मपुरा पोस्ट लुधावई तहसील व जिला भरतपुर पुलिस थाना सेवर मो0 [redacted] नवल सिंह दिनांक 11.11.24, एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 11.11.24, एसडी पुरूषोत्तम 11.11.24, एसडी कुष्ण कुमार 11.11.24, एसडी श्री अमित कुमार 26.11.24। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 11.11.2024 समय 12.10 पी.एम, पर परिवादी श्री नवलसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव उम्र 54 साल निवासी धर्मपुरा पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड एवं सम्बंधित दस्तावेज की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं नवलसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव उम्र 54 साल निवासी धर्मपुरा पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर का रहने वाला हॅू। मैने मेरी दुकान के लिए लोन की फाइल पीएनबी बैंक लुधावई में अनुजा निगम भरतपुर के तहत लगाई थी । पचास हजार रूप्ये लोन बैंक से मिला एवं पचास हजार रूप्ये की किश्त अनुजा निगम भरतपुर से प्राप्त होनी है। अनुजा निगम से मिलने वाली राशि पचास हजार रूप्ये की सरकार की तरफ से छूट है जो सरकार माफ कर देती है। उक्त राशि का मेरे खाते में डालने की एवज में श्री नीरज जी अनुजा निगम भरतपुर पच्चीस हजार रूप्ये रिश्वत की मांग कर रहा है। दो हजार रूप्ये तारीख 25.10.24 शुक्रवार को लिए हैं। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी नीरज जी से कोई रंजिश नही है और नाही कोई लेनदेन बकाया है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 01.00 पी.एम.पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से मालखाना प्रभारी श्री परसराम कानि0 203 से निकलवाकर परिवादी श्री नवल सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरेश कुमार कानि. 185 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी नवल सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को उसकी निजी स्कूटी एवं श्री सुरेश कुमार कानि. को अपनी निजी मोटरसाइकिल से कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 01.40 पीएम पर श्री सुरेश कुमार कानि. मय परिवादी श्री नवल सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री सुरेश कुमार कानि. से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं आपके कार्यालय से मेरी निजी स्कूटी व सुरेश जी अपनी निजी मोटरसाइकिल रवाना होकर कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर पहॅुचे जहां पर मैने सुरेश जी से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त करके श्री नीरज शर्मा को जरिए मोबाइल फोन किया वो मेरे पास आ गया। जहां मेरे लोन के 50,000 रूपये मेेरे खाते में डालने के एवज में 25,000 रूपये की मांग की एवं मेरे निवेदन करने पर 15,000 रूप्ये लेने पर सहमत हो गया जिसमें से मुझसे 7000 रिश्वत की राशि आज लेने पर सहमत हो गया और बाकि राशि मेरे

लोन राशि मेरे खाते में डालने के बाद में लेने पर सहमत हो गया। इसके बाद मैने वॉईस रिकॉर्डर को सुरेश जी को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया इसके बाद रवाना होकर हम एसीबी चौकी भरतपुर आ गये। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री सुरेश कुमार कानि.द्वारा की गई। श्री सुरेश कुमार से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके बाद डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण वार्ता पृथक से तैयार किया जावेगा। इसके बाद समय 02.00 पी.एम. पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की प्रथम किश्त 7,000 रूप्ये आज दिनांक 11.11.24 को ही मांगना रिश्वत मांग से स्पष्ट है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नवलसिंह से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000 रूप्ये के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि 7,000 रूप्ये मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। इसके बाद समय 02.50 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री सतेन्द्र सिंह कानि0 45 को स्वतन्त्र गवाह को पाबन्द करने हेतु वाणिज्यिक कर भवन भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर भवन भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 03.30 पी.एम. पर श्री सतेन्द्र सिंह कानि0 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय वाणिज्यिक कर भवन पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को मुताबिक निर्देशानुसार हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। इसके बाद समय 03.35 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय हैं जिनको मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री पुरूषोत्तम पुत्र श्री मानसिंह जाति जाटव उम्र 40 साल निवासी वार्ड नं. 02 वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कर भवन भरतपुर एवं श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री शेरसिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट सुनारी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक कर भवन भरतपुर वृत्त अ भरतपुर होना बताया जिनको कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी नवलसिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही टे्रप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा आज दिनांक 11.11.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टे्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 03.45 पी.एम: पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नवलसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाटव उम्र 54 साल निवासी धर्मपुरा पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 14 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 7,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- क्र.सं. नोटों के नम्बर 1QQ907249, 6SM082313, 7MS928618, 6KV535023, 2WF187187, 6LA847208, FD681709, 2BW315603, 4AF684208, 8VP616464, 6EQ504089 , 3EV562485, 2AL697742 ,6UE012547 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री परसराम कानि0 203 हाल प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री यशपाल सिंह कानि0 473 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नवल सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह कृष्णगोपाल से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7,000/-रूपये के नोटों को श्री यशपाल सिंह कानि0 473 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री पुरूषोत्तम से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री यशपाल सिंह कानि. 473 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री परसराम कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन,

परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री यशपाल कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 04.10 पी. एम पर परिवादी श्री नवलसिंह को उसकी निजी स्कूटी व श्री सुरेश कुमार कानि. को अपनी निजी मोटरसाइकिल से अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0 610, श्री रितेश कुमार कानि0 64 , श्री परसराम कानिं. 203, सुशील कुमार कानि. , सतेन्द्र सिंह कानि., श्रीमती सगुन महिला कानि. को अपने - अपने निजी वाहनों से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह, के अपनी निजी कार से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 04.20 पी. एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री सुरेश कुमार कानि., व इनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी सदस्यों के कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 05.40 पीएम पर परिवादी श्री नवल सिंह अपनी स्कूटी से मेरे पास आया और वॉइस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिस पर प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि आरोपी नीरज शर्मा मेरे पास आया और वापस आने की कहकर चला गया अब काफी समय हो चुका है तथा मेरा फोन भी नही उठा रहा है हो सकता है वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गया है आज आने की संभावना नही है। अतः कार्यालय समय समाप्त हो चुका है आरोपी के आने की संभावना नही होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम , मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान , मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर से रवाना होता हूं। इसके बाद समय 05.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प टीम मय परिवादी ,डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुॅचा जहां परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000 रूप्ये में फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि. से परिवादी के पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखी रिश्वत राशि को निकलवाकर पूर्व में तैयार शुदा फर्द से मिलान कर एक कागज के लिफाफे में रखकर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। इसके बाद समय 06.00 पी.एम.पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आज दिनांक 11.11.24 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.10 पी.एम.पर परिवादी नवल सिंह व आरोपी नीरज शर्मा अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 11.11.2024 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी श्री सुरेष कुमार कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री परसराम कानि0 203 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.00 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 11.11.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैज वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 08.20 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री नवलसिंह ने बताया कि मेरे घर परिवार में शादी होने से मैं कल दिनांक 12.11.2024 को कार्यालय में नही आ सकूंगा इसके बाद 2 दिन बाद कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

ने परिवादी श्री नवलसिंह व स्वतंत्र गवाहान गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 14.11.2024 समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री नवलसिंह उप. कार्यालय आया और मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी का मेरे पास कोई फोन नहीं आया है व मेरे किसी मिलने वाले ने बताया कि आज ऑफिस में नहीं हैं और ये वरिष्ठ सहायक नही है ये अधिकारी है। परिवादी श्री नवलसिंह को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 26.11.2024 समय 01.50 पी.एम.पर परिवादी श्री नवल सिंह कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि आज आरोपी नीरज शर्मा अनुजा अधिकारी मेरे से रिश्वत ले सकता है। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.15 पी.एम.पर कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री पुरूषोत्तम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कर भवन भरतपुर व श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक कर भवन भरतपुर वृत्त अ भरतपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये। श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक कर भवन भरतपुर वृत्त अ भरतपुर के अवकाश पर होने से अन्य कर्मचारी को बतौर स्वतंत्र गवाह भिजवाने के लिये निर्देश दिये गये। इसके बाद समय 03.20 पी.एम.पर कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पुरूषोत्तम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कर भवन भरतपुर व एक अन्य कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये। श्री पुरूषोत्तम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के साथ आये कर्मचारी को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री अमित कुमार पुत्र स्व. श्री अमीचन्द जाति कोली उम्र- 33 साल निवासी एल बी शास्त्री नगर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कर भवन वृत्त ब भरतपुर होना बताया और बताया कि श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक के अवकाश में होने से मुझे भेजा गया है। जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी नवलसिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी द्वारा कराई जा रही टे्प कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 11.11.2024 को पेशा की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा उक्त कर्मचारी से टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो उसने अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप पेश की गई शिकायत पर अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 03.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 11.11.2024 को कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई पाउडर लगी हुई राशि 7000/- रूपये के लिफाफे को श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं.- 68 से निकलवाकर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. नं. 221 के द्वारा लिफाफे से निकलवाकर पूर्व की दिनांक 11.11.24 की तैयारशुदा फर्द सुपुर्दगी से नोटों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया जाकर आरोपी को रिश्वत में देने के लिए श्री देवेन्द्र सिंह कानि. नं. 221 से परिवादी श्री नवल सिंह पहनी हुई शर्ट के बायें तरफ के सामने की जेब में रखवाया गया। पूर्व से तैयारशुदा फर्द सुपुर्दगी पर स्वतंत्र गवाह श्री अमित कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड करने के लिए वाईस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वॉइस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नवलसिंह को सुपुर्द किया गया। समस्त ट्रेप पार्टी द्वारा अपने-अपने हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये गये। इसके बाद समय 03.40 पी.एम पर परिवादी श्री नवलसिंह को उसकी निजी स्कूटी व परसराम कानि.नं.203 एवं विनोद कुमार कानि.नं. 114 को अपनी निजी मोटरसाइकिल से अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0 610, श्री रितेश कुमार कानि0 64 , सुशील कुमार कानि. को अपने - अपने निजी वाहनों से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी निजी कार मय स्वतंत्र गवाह, श्री अवधेश कुमार हैडकानि., श्री गोकुलेश कानि. के मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री विनोद कुमार कानि., व इनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी सदस्यों के कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 04.10 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री नवल सिंह के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश कर परिसर की गैलरी में कमरा नं. 57 के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री नवल सिंह उपस्थित मिले जिनसे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को गैलरी में ही पीठ पर बैग टांगे जा रहे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही नीरज जी अनुजा निगम भरतपुर के अधिकारी हैं जिन्होने अभी अभी मेरे से रिश्वत की पहली किश्त के 7,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ में लिए हैं एवं रूपये अभी भी इन्ही के हाथ में हैं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता व परिवादी के गैलरी में बैग टांगे जाते हुए व्यक्ति पास पहुंचकर एवं उसको रोककर उसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम नीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 41 साल निवासी जैन गली बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय

परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति , जनजाति वित विकास सहकारी निगम लिमिटेड(अनुजा निगम) भरतपुर होना बताया। उक्त व्यक्ति से परिवादी श्री नवलसिंह से रिश्वत में ली गई राशि 7,000/-रू के सम्बंध में पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपने दांहिने हाथ में पकडी हुई 500-500 रू के नोटों की गड्डी को गैलरी में ही अपने पैरों के पास फैंक दिया एवं अपने हाथों को आपस में रगडते हुए कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है। इस पर समय अभाव के कारण वीडियोग्राफी नही हो सकती है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी का दांहिना हाथ श्री परसराम कानि. नं. 203 व बांया हाथ श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 के द्वारा कलाइयों के ऊपर से पकडवाया गया। तत्पश्चात फर्श पर फैंकी हुई रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री पुरूषोत्तम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 500-500 रू के 14 नोट कुल 7,000 रू होना पाये गये । तत्पश्चात हाथ पकडी हुई अवस्था में आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय टीम के कमरा नं 57 के अंदर पहुंचा। तत्पश्चात पुनः तसल्ली देकर आरोपी नीरज शर्मा से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं वर्ष 2018 से अनुजा निगम भरतपुर में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं। नवल सिंह मेरे पास करीब 15 दिन पहले आये थे जिन्होने मुझसे अनुजा निगम के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता राशि के सम्बंध में पूछताछ की थी। मैने नवलसिंह जी को उनकी फाइल देखकर बताया कि आपकी सहायता राशि प्रक्रियाधीन है जल्दी ही आपके बैंक खाते में आ जाएगी। मैंने उस दिन इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली थी और नाही कोई रिश्वत राशि की मांग की थी और नाही आज भी मैंने कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर पास में बैठे परिवादी श्री नवल सिंह ने कहा कि अनुजा अधिकारी जी झूंठ बोल रहे हैं , नीरज जी मुझे 25,000 रू रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे थे जिसकी शिकायत मैनें दिनांक 11.11.24 को आपके कार्यालय में की थी जहां मैने आपको लिखित में शिकायत देकर सारी घटना के बारे में बताया था जिस पर आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान मेरे निवेदन करने पर श्री नीरज जी मुझसे 15,000 /-रू रिश्वत के रूप में लेने पर सहमत हो गये एवं 15,000 रू में से किश्त के रूप में 7,000/-रू उसी दिन लेने पर सहमत हुए थे। लेकिन उस दिन नीरज जी किसी कार्य से बाहर चले गये थे । इन्होने आज मेरे से मेरे काम की एवज में पहली किश्त के रूप में 7,000/-रू अपने दांहिने हाथ में लिये हैं। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर अनुजा निगम कार्यालय भरतपुर में रखे हुए पानी के केम्पर से लोटा से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह अमित कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी नीरज शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः टेªप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी नीरज शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात गवाह श्री पुरूषोत्तम से उठवाई गई रिश्वत राशि को पुनः गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाये गये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात टेªप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल स्वतंत्र गवाह श्री अमित कुमार से तैयार करा कर टेªप बॉक्स से रूई का फोआ निकलवा कर गवाह श्री अमित कुमार से रूई के फोऐ को घोल में डुवाकर फोऐ से कलैक्ट्रेट परिसर गैलरी के कमरा नं. 57 के सामने फर्स जहां से गवाह श्री पुरूषोत्तम द्वारा रिश्वत राशि को उठवाया गया को पुछवाया जाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एफ-1 व एफ-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात रूई फोआ को सुखवा कर उक्त रूई फोआ को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "एफ' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो उन्होने

अपनी कार्य करने की टेबल के पीछे रखी हुई लोहे की रैक से नवलसिंह पुत्र रामजीलाल के नाम की पत्रावली पेश की जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी नीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 41 साल निवासी जैन गली बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनुजा निगम भरतपुर द्वारा परिवादी श्री नवल सिंह से अनुजा निगम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राषि 50,000/-रू को परिवादी के बैंक खाते में डालने के एवज में 25,000/-रू की मांग करना एवं दौराने सत्यापन 15,000/-रू रिश्वत के रूप में लेने पर सहमत होना तथा आज दिनांक को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 7,000/-रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री अमित कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वन प्लस कम्पनी का मोबाईल जिसमे ऐयरटेल की सिम जिनके नं0 क्रमशः [redacted] एवं दूसरा मोबाइल रियल मी कम्पनी का जिसमें जिओ की सिम नं. [redacted] डली हुई है एवं जामा तलाशी में 1220/-रूपये नगद मिले जिनके संबंध में पूछा तो आरोपी ने घर खर्च के होना बताये। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाव देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर में पदस्थापित कर्मचारी श्रीमती चंचल शर्मा को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना भी श्रीमती चंचल शर्मा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर बाद सम्बंधितों के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.10 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान , के समक्ष आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनुजा निगम भरतपुर ने परिवादी श्री नवल सिंह की अनुजा निगम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि की मूल पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली में कुल 21 पेज हैं । पेज सं. 01 कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के पत्र क्रमांक 317 दिनांक 29.04.24 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक लुधावई जिला भरतपुर के लिए पत्र लिखा हुआ है। एवं पेज सं. 02 से 20 तक परिवादी नवलसिंह का आवेदन पत्र से सम्बंधित कागजात है एवं पेज सं. 21 पर कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर के द्वारा परिवादी श्री नवल सिंह के बैंक खाते में राशि जमा कराने हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश सलंग्न है। तत्पश्चात श्री अमित कुमार अवस्थी परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम भरतपुर को जरिए मोबाइल तलब कर उक्त पत्रावली की छायांप्रति करवाई जाकर पत्रावली को प्रमाणित करवाई जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं मूल पत्रावली श्री अमित कुमार परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम भरतपुर को सुपुर्द की गई। फर्द जब्ती मुर्तिब कर बाद करवाये जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सरकारी गाडी की आवष्यकता होने से श्री विजयसिंह चालक मय बोलेरो मय श्री संतोष हैडकानि. के कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद समय 07.45 पीएम पर जरिये मोबाइल तलबशुदा श्री विजयसिंह चालक मय बोलेरो मय श्री संतोष हैडकानि. के कार्यालय अनुजा निगम कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर उपस्थित आये जिनके हमराह श्री अवधेश कुमार हैडकानि. , श्री विनोद कुमार कानि. मय गिरफ्तार शुदा आरोपी नीरज शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराते हुए एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे॰प टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय परिवादी की निजी स्कूटी से आगे-आगे रवाना कर अपनी निजी कार से एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। इसके बाद समय 07.55 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे॰प टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहु ॅचा। इसके बाद समय 08.30 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. मय श्री संतोष कुमार हैड कानि0 , श्री विनोद कुमार कानि.मय सरकारी गाडी मय चालक के आरोपी का आर.बी.एम.हॉस्पीटल भरतपुर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एवं पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आये। जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 8.40 पी.एम.पर रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 26.11.2024 के वाईस रिकार्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट

ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 08.50 पी.एम.पर परिवादी नवल सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी नीरज कुमार सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनुजा निगम भरतपुर के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में श्री गोकुलेश कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 9.50 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 26.11.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद 10.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 62 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री अमित कुमार को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री नवलसिंह द्वारा किराने की दुकान खोलने के लिए पीएनबी बैंक शाखा लुधाबई से एक लाख रूपये का लोन लिया था जिसमें अनुजा निगम भरतपुर द्वारा उक्त लोन राशि पर अनुदान सहायता राशि 50,000/-रू को पीएनबी बैंक लोन खाते में डालने की एवज में आरोपी नीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 41 साल निवासी जैन गली बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय अनुजा निगम भरतपुर द्वारा 25,000/-रू की मांग करना एवं दौराने सत्यापन दिनांक 11.11.24 को 15,000/-रू रिश्वत के रूप में लेने पर सहमत होकर किश्त के रूप में रिश्वत राशि 7,000/-रू आज दिनांक 26.11.24 को लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने व रिश्वत राशि 7,000/-रू बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह अतिरिक्त ,पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 41 साल निवासी जैन गली बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय अनुजा निगम, भरतपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 388 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1502-05 दिनांक 27-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2-निदेशक एवं संयुक्त् शासन सचिव, आर्थिक एवं साख्यिकी, निदेशालय योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/11/2024 20:54:38

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/12/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)